

**अपील संख्या 2012/00115 बउनवानी श्रीमती लाली देवी
बनाम तेजा वगैरह, आदेश दिनांक 14.08.2018**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। दिनांक 23.01.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. वास्ते मूल वाद खारिज होने से उक्त अपील पोषणीय नहीं होने के सन्दर्भ में पर अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा मूल वाद संख्या 10/2010 को दिनांक 19.08.2016 द्वारा अंतिम निस्तारण कर दिया गया है चूंकि यह अपील 225 राज0काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।